

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतालीस'

[14/3/2016]


प्रश्न सं. [क. 4465]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4465 के प्रश्नांश "क" का परिशिष्ट

प्रेषक :- श्री चन्द्रसिंह सिसौदिया

उत्तर देने का दिनांक 14.03.2016.

| शिकायत कर्ता का नाम | जाँच अधिकारी का नाम | कार्यवाही एवं उसका विवरण |
|---|---|--|
| श्री जगदीश अग्रवाल गरोठ/सूरतराम पिता देवीलाल मीणा निवासी रूपपुरा | डॉ. प्रमीला राठौर स्त्रीरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय मंदसौर | शिकायत की जाँच उपरान्त महिला चिकित्सक के द्वारा मरीज/परीजन से पैसे लेना सिद्ध नहीं हुआ है । |
| श्री चन्द्रसिंह सिसौदिया जिला महामंत्री भा.ज.पा. निवासी कोटडा खुर्द | - | कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्थापना/2012/7172-77 दिनांक 24.08.2012 के द्वारा शिकायत के आधार पर सिविल अस्पताल भानपुरा ड्युटी लगाई गयी थी । |
| श्री रुधनाथ पिता कानाजी मेघवाल निवासी नलखेडा | डॉ. एस.आर चौहान तत्कालिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | शिकायत कर्ता के द्वारा की गई शिकायत असत्य एवं निराधार पायी गयी थी । |
| श्री जगदीश वैद निवासी, गरोठ | डॉ. के.एल.राठौर शिशुरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय मंदसौर | जाँच अधिकारी द्वारा प्रकरण से संबंधित जाँच की गई जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने शिकायत/बयानों की पुष्टी गवाहों से करवाई गई दोनों के बयान में सत्यता लगती है इसलिये किसी भी एक पक्ष में परिणाम दिया जाना कठिन था इसलिये प्रकरण समाप्त किया जाना उचित है । |
| श्री के.के. खराडी, पी.एच. एन.गरोठ | - | कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्थापना/14/1469 दिनांक 24.05.2014 के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र ड्युटी पर समय से उपस्थित नहीं होने से संबंधित महिला चिकित्सक को जारी किया जाकर कलेक्टर महो. को प्रतिउत्तर से अवगत करवाया गया था । |
| श्री वशिष्ठ कुमार शर्मा निवासी गरोठ | संयुक्त संचालक उज्जैन संभाग उज्जैन | संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल के पत्र क्रमांक/4/शिका/सेल-7/मंदसौर/एस.सी.एन. /एफ-59/1562 दिनांक 27.06.13 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसका प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर पुनः डॉ. रितु शर्मा महिला चिकित्सक को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल के पत्र क्रमांक/4/शिका/सेल-7/एफ-59/एस.सी.एन. मंदसौर/14/1110 दिनांक 31.05.2014 के द्वारा पत्र भेजा गया था । संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/शिका. /सेल-7/मन्दसौर/फा0न0 59/2015/29 दिनांक 11.01.2016 के द्वारा उक्त प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया । |
| श्री रामचन्द्र मीणा ग्राम डलमो-पो-डलमो | डॉ. एस.एस. वर्मा स्त्रीरोग विशेषज्ञ मंदसौर | जाँच अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया की मरीज के ईलाज में महिला चिकित्सक के द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई है । |


Dy. Director (Gazatted)
Directorate Health Services
Madhya Pradesh